

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 1587 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक-गोपेश्वर 19/07 / 2016

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- पाखी-ह्यूंगा-पोखनी-लांजी-द्वींग मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 5107 / 12-1 दि 29.06.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नप्रकार प्रेषित है :-

1. क्रम सं. 1 में हस्ताक्षरित तुलनात्मक विवरण अपलोड किया जा चुका है।
2. क्रम सं. 11 एवं 14 में ऐतिहासिक प्रमाण पत्र एवं खसरा पुनः अपलोड कर दिया गया है।
3. राष्ट्रीय पार्क से 2 किमी. दूरी का प्रमाण पत्र प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, देहरादून से प्राप्त कर अपलोड कर दिया गया है।
4. लैण्ड शैल्डयूल एवं प्रस्ताव के मुख्य पृष्ठ में पूर्व से 3.97 हे० अंकित है। प्रस्तावित संरक्षण पर मात्र सिविल भूमि पड़ती है, वन पंचायत भूमि नहीं पड़ती हैं इस कारण वृक्षों की गणना सिविल भूमि में ही की गयी है, जिसमें नाप भूमि में 104 एवं सिविल भूमि में 479 कुल 583 वृक्ष पड़ते हैं। लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र में 38500 वर्ग मी. एवं 3.85 सिविलभूमि संशोधित कर पुनः अपलोड कर दी गयी है।
5. लांजी, पोखनी, ह्यूंगा एक ही ग्रामसभा के अन्तर्गत आते हैं, जिस कारण जिस कारण पाखी एवं पोखनी ग्राम सभा की एन.ओ.सी. संलग्न की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

18-7-16,
(इं. डी.एस. रावत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर